प्रदीप सिंह

बनाम

भारत संघ और अन्य

अप्रैल 19,2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे.जे.]

सेना अधिनियम, 1950:

घारा 39 - ए और 116-बिना छुट्टी के अनुपस्थिति के लिए बर्खास्तगी-सेना में कार्यवाहक नायक-बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहा-पद का प्रत्यहरण और संक्षिप्त कोर्ट मार्शल-बर्खास्तगी की सजा-अभिर्निधारितः तथ्यों के आधार पर, मामला सेना निर्देश संख्या में निहित कार्यवाहक रैंक से संबंधित नियम संख्या 84 और 88 में आएगा-पद की वापसी सैनिक की अनुपस्थिति के कारण थी और उस अर्थ में सजा नहीं थी- संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल द्वारा दी गई बर्खास्तगी की सजा को बरकरार रखा गया।

धारा 3(v)- कमान अधिकारी- कार्यवाहक कमान अधिकारी ने संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल की मांग की- अभिर्निधारित, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष सही था कि कोर्ट मार्शल का गठन ठीक से हुआ-इसकी संरचना को ले कर चुनौती बिना किसी सार के थी।

कोर्ट-मार्शल-प्रकृति एंव कार्य- अभिर्निधारित, काेर्ट-मार्शल न्यायिक कार्य का निर्वहन करता है और काफी हद तक एक न्यायालय है जंहा साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं-कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही की तुलना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत एक आपराधिक अदालत की कार्यवाही से नही की जाती है। कोर्ट-मार्शल एक महत्तवपूर्ण स्तर तक, समग्र तंत्र का विशेष भाग है जिसके द्वारा सैन्य अनुशासन को संरक्षित किया जाता है।

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 226 और 227- कोर्ट-मार्शल कार्यवाही-अभिर्निधारितः अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, लेकिन कोर्ट-मार्शल अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन नहीं है-यदि कोर्टमार्शल उचित रूप से बुलाया गया है और इसकी संरचना को कोई चुनौती नहीं दी है और कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है, तो अदालतें हस्तक्षेप नहीं करें-न्यायिक समीक्षा।

अपीलार्थी, जो सेना में नायक का कार्यवाहक पद धारण कर रहा था, कमांडो पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, ढाई महीने की अवधि के लिए अनुपस्थित रहे। इसके बाद जब वह अपनी इकाई में पहुंचे, तो नायक का उनका पद वापस ले लिया गया और उन्हें संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था जिसने सुनवाई के समापन पर

उन्हें बर्खास्तगी की सजा सुनाई। उत्तरदाता ने इस आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में उस आदेश को चुनौती दी कि कार्यवाहक कमांडिंग अधिकारी संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल बुलाने के लिए सक्षम नहीं था इसलिए उसकी कार्यवाही बिना अधिकार क्षेत्र के थी; कि उसे कोई कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई थी और इस तरह उसे सुनवाई के अधिकार से इनकार कर दिया गया था; और यह कि चूंकि उसे पद से हटाने की सजा दी गई थी, उसी आधार पर, उन पर फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उन्हें उसी आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज कर देने से, सैनिक ने यह अपील दायर की।

उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए तर्कों को दोहराने के अलावा, सेना अधिनियम, 1950 की धारा 80 का उल्लेख करते हुए, इसके लिए यह तर्क दिया गया था कि अपीलार्थी कि फीत को हटाना दंड के बराबर है और इसलिए, आगे की कार्रवाई की अनुमोदित नहीं थी।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिर्निधारित किया-

1.1 . इस मामले में, कर्तव्य से प्रतिवादी की अनुपस्थिति से पहले, वे नायक के कार्यवाहक पद पर थे। इसलिए मामला सेना निर्देश संख्या में निहित कार्यवाहक रैंक से संबंधित नियम संख्या 84 और 88 में आएगा, और सेना अधिनियम, 1950 की धारा 80 इस संबंध में लागू नहीं होती है।

इस प्रकार मामले को देखते हुए, नायक के पदों को वापस लेना प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति के कारण था और इसलिए, उस अर्थ में वह सजा नहीं थी।

[पद 6,4 और 7]

1.2 . जहाँ तक कानूनी सहायता से इनकार करने का संबंध है, यह देखा गया था कि अपीलार्थी ने स्वीकार किया था कि मुकदमे के दौरान उसे सलाह देने के लिए एक मेजर को उसके दोस्त के रूप में नामित किया गया था। कोर्ट मार्शल के दौरान उक्त अधिकारी को नहीं देखने की उनकी दलील में कोई सार नहीं पाया गया। यह पाया गया कि यदि वह उसकी सहायता नहीं कर रहा था, तो वह संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल के समक्ष शिकायत कर सकता था। ऐसा किया जा चुका है। याचिका में कोई सार नहीं था। [पद 3]

2.1 . कोर्ट मार्शल के समक्ष कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने के संबंध में, हालांकि कोर्ट मार्शल की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन है, कोर्ट मार्शल संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन नहीं है। यदि एक कोर्ट-मार्शल को ठीक से बुलाया गया है और इसकी संरचना को कोई चुनौती नहीं है और कार्यवाही निर्धारित प्रकिया के अनुसार है-उच्च न्यायालय या उस मामले के लिए किसी भी न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि कोर्ट-

मार्शल को ठीक से बुलाया गया है और "कमांडिंग ऑफिसर" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए जैसा कि सेना अधिनियम, 1950 की धारा 3 (v) में दिया गया है, इसकी संरचना के लिए चुनौती बिना किसी सार के थी। [पद 8 और 9]

2.2 . एक कोर्ट-मार्शल न्यायिक कार्य का निर्वहन करता है और काफी हद तक, एक ऐसा न्यायालय है जहाँ साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही की तुलना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत आपराधिक अदालत की कार्यवाही से नहीं की जानी चाहिए। यह सही कहा गया है कि कोर्ट-मार्शल एक महत्तवपूर्ण स्तर तक, समग्र तंत्र का विशेष भाग है जिसके द्वारा सैन्य अनुशासन को संरक्षित किया जाता है। यह सशस्त्र बलों की विशेष आवश्यकता के लिए है कि सेना अधिनियम के अधीन एक व्यक्ति पर कोर्ट-मार्शल द्वारा एक ऐसे कार्य के लिए मुकदमा चलाया जाता है जो अधिनियम के तहत एक अपराध है। जब दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो यह जांच करना अनावश्यक है कि क्या विचारण से पूर्व की जांच पर्याप्त थी या नहीं। उचित और पर्याप्त जांच की आवश्यकता गैर-क्षेत्राधिकार की बात है और इसका कोई भी उल्लंघन कोर्ट-मार्शल को अमान्य नहीं करेगा जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि अभियुक्त को पूर्वाग्रह से ग्रस्त किया गया है या किसी अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। उच्च न्यायालय

को अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा की वैधता को चुनौती देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जब साक्ष्य पर्याप्त हो जब कोर्ट-मार्शल के पास विषय वस्तु पर अधिकार क्षेत्र हो और उसने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया हो और सजा देना उसकी शक्तियों के भीतर हो।[पद 9]

भारत संघ और अन्य बनाम आईसी, 14827 और मेजर ए. हुसैन एआइआर (1998) एससी 577, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2000 की सिविल अपील सं. 5799

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के जम्मू में 1999 के एल.पी.ए. संख्या 196 के 05.07.1999 के निर्णय और आदेश से

अपीलार्थी के लिए पी. डी. शर्मा।

नागेंद्र राय, इंद्र साहनी, आर. सी. कथिया और बी. वी. बलराम दास उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. इस अपील में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया था।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

ढाई महीने की अवधि के लिए अनुपस्थिति को दुराचार माना गया और संक्षिप्त कोर्ट मार्शल सेना अधिनियम, 1950 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 116 के संदर्भ में आयोजित किया गया था। उन पर अधिनियम की धारा 39ए के तहत बिना छुट्टी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के लिए 7.8.1989 के आदेश द्वारा आरोप लगाया गया था। उन्हें एक संक्षिप्त कोर्ट मार्शल द्वारा 16.8.1989 के आदेश के माध्यम से मुकदमा चलाया गया और दंडित किया गया। कोर्ट मार्शल द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर रिट याचिका में चुनौती दी गई थीः

(i) कि कार्यवाहक कमांडिंग अधिकारी समरी कोर्ट मार्शल बुलाने के लिए सक्षम नहीं था और इसलिए, समरी कोर्ट मार्शल की कार्यवाही व दी गई सजा अधिकार क्षेत्र के बिना होने से अवैध है।

(ii) कि याचिकाकर्ता को न तो कोई कानूनी सहायता प्रदान की गई थी और न ही गवाहों को प्रतिपरीक्षित करने दिया गया, और इसलिए, उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया;

(iii) कि याचिकाकर्ता जिसे पद से हटाकर दंडित किया गया है, पर उसी आधार पर मुकदमा चलाया जा कर दंडित नहीं किया जा सकता।

3. उत्तरदाताओं ने यह रुख अपनाया कि सभी दलीलें बिना आधार के हैं। उच्च न्यायालय ने देखा कि अपीलार्थी लेह में कहीं तैनात था और

दिसंबर, 1988 में कमांडो पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, जिसमें वह जनवरी, 1989 में शामिल हुआ था। उन्होंने 07.02.1989 पाठ्यक्रम पूरा किया, लेकिन पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद पारगमन शिविर में रिपोर्ट करने के बजाय, वह इस धारणा पर घर चले गए कि उन्होंने पहले से ही वार्षिक छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया था जिसे उनके कमांडिंग अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया होगा। आखिरकार उन्होंने 259-पारगमन शिविर पर 21.4.1989 को उपस्थिति दी व 19.5.1989 को अपनी इकाई में पहुँचें। उनकी शिकायत यह थी कि उनके इकाई में पहुंचने के तुरंत बाद, नायक का उनका पद वापस ले लिया गया था। बाद में उन्हें 11.8.1989 को समरी कोर्ट मार्शल के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया, जिसने सुनवाई समाप्त की और बर्खास्तगी की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने पाया कि यह रुख कि कार्यवाहक कमांडिंग अधिकारी समरी कोर्ट मार्शल बुलाने के लिए सक्षम नहीं था, तथ्यहीन था जैसी की अधिनियम की धारा 3 (v) में "कमांडेंट अधिकारी" की परिभाषा बताई गई है। जहाँ तक कानूनी सहायता से इनकार करने का संबंध है, यह नोट किया गया कि अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि मुकदमे के दौरान उसे सलाह देने के लिए मेजर डी. पी. नायकावडे को उसके मित्र के रूप में नामित किया गया था। कोर्ट मार्शल के दौरान उक्त अधिकारी को नहीं देखने की उनकी याचिका में कोई सार नहीं पाया गया। यह नोट किया कि यदि वह उसकी सहायता नहीं कर रहा था, तो वह समरी कोर्ट मार्शल के

समक्ष शिकायत कर सकता था। ऐसा नहीं किया गया है। बहस में कोई तत्व नहीं था।अपीलार्थी को सूचित किया गया कि कमांडेंट पाठ्यक्रम पूरा होने पर वह तुरंत इकाई में शामिल नहीं हुए और इसके बजाय ढाई महीने बाद शामिल हो गए। उन्होंने बिना आधार के मान लिया कि उनकी छुट्टी स्वीकार हो गई होगी। चूंकि वे नाइक के कार्यवाहक पद पर थे, इसलिए उन्होंने सेना के मुख्यालय पत्र संख्या.94930/एजी/पीएससी (सी) दिनांकित 21.11.1988 के अनुसार बिना छुट्टी के कर्तव्य से अनुपस्थिति के कारण इसे धारण करने का अधिकार खो दिया। अपीलार्थी के पास नायक का मूल पद नहीं था और बिना अनुमति के अनुपस्थिति के कारण उसे वापस ले लिया गया था। यह वस्तुतः दी गई रियायत को वापस लेना था। इसलिए, दोहरे खतरे से संबंधित तर्क में कोई सार नहीं था। तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई। डिवीजन बेंच के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष लिए गए रुख को दोहराया गया। डिवीजन बेंच ने पाया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उल्लिखित तथ्यात्मक परिदृश्य को देखते हुए, रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। तथापि, यह मत व्यक्त किया कि यदि समान रूप से स्थित कुछ व्यक्तियों के साथ नरमी से व्यवहार किया गया है, तो अपीलार्थी के लिए एक अभ्यावेदन करने का अधिकार है जिस पर प्रत्यर्थियों द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा। उपरोक्त विचार के साथ लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया गया।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने उन्ही पहलुओं पर प्रकाश डाला जिनका विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के समक्ष आग्रह किया गया था। उनके अनुसार, पद वापस लेना एक सजा थी और इसलिए, उच्च न्यायालय का मत सही नहीं था। दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने आदेशों का समर्थन किया। अधिनियम की धारा 80 के संदर्भ में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने कहा कि फीत को हटाना दंड के बराबर है और इसलिए, आगे की कार्रवाई अनुमत नहीं है। इस संदर्भ में, कार्यवाहक रैंक से संबंधित नियमों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो सेना के निर्देश संख्या 84 और 88 में निहित है। नियम 84 कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अन्य पदों के लिए पदोन्नति से सम्बंधित है। निर्देशों के अनुसार, दो प्रकार की पदोन्नति होती है, एक कार्यकारी और दूसरी मूल। जहाँ तक कार्यकारी पद का संबंध है, उनके बारे में भाग 1 में बताया गया है। वह भाग जो सुसंगत है, इस प्रकार हैः

" भाग 1. - कार्यवाहक पद

2. उपरोक्त पदोन्नतियों को नियंत्रित करने वाले सामान्य प्रावधान निम्नलिखित हैं।

(क) अधिकृत संसथानो में पदों में रिक्तियों को भरने के लिए कार्यवाहक पदोन्नति की जाएगी, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी। कार्यवाहक पद तब तक अवैतनिक रहेगा जब तक कि उस पद पर 28 दिन

तक निरन्तर रूप से कार्य न कर लिया गया हो, तब कार्यवाहक पद भुगतान योग्य कार्यवाहक पद में परिवर्तित होगा; वेतन भूतलक्षी प्रभाव से कार्यवाहक पद प्रदान किए जाने की दिनांक से लागू होगा।

(ख) नायब सुबेदार व नायब रिसालदार का पद एक मूल पद है। इसलिए उन पदों पर कोई भी कार्यवाहक पदोन्न्ति नहीं होगी। फिर भी एक वरिष्ठ एनसीओं को यदि आवश्यकता हो तो नायब रिसालदार/नायब सूबेदार के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

(ग) एक इकाई का कमान अधिकारी या प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड को, जहां कार्यवाहक पदोन्नति कोर रोस्टर के आधार पर केंद्रीय रूप से नियंत्रित की जाती है, कार्यवाहक पदोन्नति करने का अधिकार है, बशर्ते कि संबंधित व्यक्तियों के पास उच्च पद के लिए निर्धारित सभी योग्यताएँ हों। कार्यवाहक पदोन्नति को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को ऐसे कार्यवाहक पद से प्रत्यावर्तन का आदेश देने का भी अधिकार है। अभिनय और भुगतान अभिनय पदोन्नति या प्रत्यावर्तन भाग II के आदेशों में प्रकाशित किए जाएंगे जो उचित पद के वेतन और भत्ते जारी करने के लिए प्राधिकारी होंगे।

(घ) कार्यवाहक रैंक उस दिन से दी जाएगी जब रिक्ति होती है बशर्ते कि व्यक्ति ने उसी दिन से उच्च पद के कर्तव्यों को ग्रहण कर लिया हो और जिस दिन से व्यक्ति, नियुक्ति जिसके लिए कार्यवाहक पद दिया

गया, के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना बंद कर देता है या रिक्ति अस्तित्व में नहीं रहती है, उस दिन से प्रत्यावर्तन होगा, सिवाय इसके कि अन्यथा प्रदान किया गया हो।

(ड) आकस्मिक, वार्षिक या संचित वार्षिक अवकाश पर

(i) आकस्मिक अवकाश पर

एक व्यक्ति भुगतान किए गए कार्यवाहक पद या भुगतान की गई लांस नियुक्ति को आकस्मिक छुट्टी की अवधि में धारण करेगा और उसके स्थान पर किसी भी कार्यवाहक पदोन्नति की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कार्यवाहक रैंक को आकस्मिक छुट्टी के अत्यवस्थान की तारीख से छोड़ दिया जाएगा जब तक कि आकस्मिक अवकाश और उसके अत्यवस्थान को वार्षिक अवकाश की पात्रता के अंतर्गत उस वर्ष के लिए जिसमें की आकस्मिक अवकाश लिया गया हो और सेवा के अवकाश नियम, खण्ड 1-सैन्य, के नियम 6 (डी) (ii) में विशेष अवकाश के रूप में नियमित न कर दिया गया हो-बिमारी की दशा में आकस्मिक अवकाश के अत्यवस्थान के सैन्य मामले नीचे दिए खण्ड जी (ii) के अंतर्गत निपटाए जाएंगे।

(ii) वार्षिक या संचित वार्षिक अवकाश पर

एक व्यक्ति भुगतान किए गए कार्यवाहक पद या भुगतान की गई लांस नियुक्ति को वार्षिक या संचित वार्षिक अवकाश की अवधि में धारण करेगा और उसके स्थान पर किसी भी कार्यवाहक पदोन्नति की अनुमति

नहीं होगी। हालांकि, कार्यवाहक रैंक को उक्त अवकाश के अवसान की तारीख से छोड़ दिया जाएगा जब तक कि अत्यवस्थान प्राकृतिक आपदाओं के कारण से रहा हो और उक्त अवकाश को सेवा के अवकाश नियम, खण्ड 1-सैन्य, के नियम 6 (डी) (ii) में विशेष अवकाश के रूप में नियमित न कर दिया गया हो।

xxx xxx xxx

भाग II मूल पदों से संबंधित है।

5. नायक के पद की वापसी उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति होने के कारण हुई थी इसलिए यह उस अर्थ में दंड नहीं था। इसके लिए धारा 80 का आश्रय लिया गया है जो इस प्रकार हैः

"80 बंद अदालत में बैठक- (I) एक कोर्ट मार्शल जंहा इन नियमों द्वारा निर्देशित है तो अवश्य ही और किसी अन्य मामले में सदस्यों के बीच किसी भी विचार-विमर्श पर, बंद अदालत में बैठेंगे।

(2) बंद अदालत में अदालत के सदस्यों, न्यायाधीश-अधिवक्ता (यदि कोई हो) और निर्देशों के अधीन अधिकारी के अलावा कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा।

(3) नियमों के पूर्वगामी प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कोर्ट-मार्शल या तो उठ जाएगा या अपने बैठने के स्थान से, अन्य सभी

व्यक्तियों को जो अपनी उपस्थिति के लिए अधिकृत नहीं है, हटाने के लिए कहेगा।

(4) जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है, को छोडकर, सभी कार्यवाहियों जिसमें किसी भी स्थान का दृश्य, खुले न्यायालय में और उप-नियम (5) के अधीन अभियुक्त की उपस्थिति में होगा।

(5) न्यायालय के पास किसी भी गवाह को जिसे अभी गवाही देना शेष है या इसके अलावा अभियुक्त को छोड कर, कोई अन्य व्यक्ति जो इसकी कार्यवाही में हस्तक्षेप करता है, को न्यायालय से बाहर करने की शक्ति होगी

6. सेना के निर्देशों के साथ प्रावधानों का पठन, यह स्पष्ट कर देता है कि धारा 80 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है।

7. जहाँ तक कोर्ट मार्शल की वैधता का संबंध है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया है कि अपीलार्थी नायक के मूल पद पर नहीं था।

जो पद अस्थायी रूप से दिया गया था, वह कर्तव्य से अनुपस्थिति के मामले में वापस लिया जा सकता था और किसी और को उस पद पर रहना पड़ता था। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नायक के रूप में काम करने वाला व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है।

8. चुनौती का अगला आधार कोर्ट मार्शल के समक्ष कार्यवाही की वैधता से संबंधित है।

9. हालांकि कोर्ट मार्शल की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन है, कोर्ट मार्शल संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन नहीं है। यदि एक कोर्ट-मार्शल को ठीक से बुलाया गया है और इसकी संरचना को कोई चुनौती नहीं है और कार्यवाही निर्धारित प्रकिया के अनुसार है तो उच्च न्यायालय या उस मामले के लिए किसी भी अन्य न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही की तुलना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत आपराधिक अदालत की कार्यवाही से नहीं की जानी चाहिए जंहा स्थगन देना एक चलन बन गया है यद्यपि यह कानून के प्रावधानों के विरूद्घ है। यह सही कहा गया है कि कोर्ट-मार्शल एक महत्तवपूर्ण स्तर तक, समग्र तंत्र का विशेष भाग है जिसके द्वारा सैन्य अनुशासन को संरक्षित किया जाता है। यह सशस्त्र बलों की विशेष आवश्यकता के लिए है कि सेना अधिनियम के अधीन एक व्यक्ति पर कोर्ट-मार्शल द्वारा एक ऐसे कार्य के लिए मुकदमा चलाया जाता है जो अधिनियम के तहत एक अपराध है। एक कोर्ट-मार्शल न्यायिक कार्य का निर्वहन करता है और काफी हद तक, एक ऐसा न्यायालय है जहाँ साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। कोर्ट-मार्शल की उसके समक्ष आरोपित

अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करने और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी किसी और न्यायालय की होती है। यदि कोई सेना अधिनियम, सेना नियम, रक्षा सेवा विनियम और सेना के अन्य प्रशासनिक निर्देशों में कोर्ट मार्शल से संबंधित कानून के प्रावधानों को देखता है, तो यह स्पष्ट है कि यदि अभियुक्त पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है तो निर्धारित प्रक्रिया शायद उतनी ही उचित होती। जब दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो यह जांच करना अनावश्यक है कि क्या विचारण से पूर्व की जांच पर्याप्त थी या नहीं। उचित और पर्याप्त जांच की आवश्यकता गैर-क्षेत्राधिकार की बात है और इसका कोई भी उल्लंघन कोर्ट-मार्शल को अमान्य नहीं करेगा जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि अभियुक्त को पूर्वाग्रह से ग्रस्त किया गया है या किसी अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। ऊपर उद्धृत नियम 149 को उपयोगी रूप से संदर्भित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय को अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा की वैधता को चुनौती देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जब साक्ष्य पर्याप्त हो जब कोर्ट-मार्शल के पास विषय वस्तु पर अधिकार क्षेत्र हो और उसने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया हो और सजा देना उसकी शक्तियों के भीतर हो।

10. उपरोक्त स्थिति पर भारत संघ और अन्य बनाम आईसी, 14827 और मेजर ए. हुसैन एआइआर (1998) एससी 577, में प्रकाश डाला गया।

अपरिहार्य परिणाम यह है कि अपील अयोग्य हो कर निरस्त की जाती है। हालाँकि, खंड पीठ द्वारा अपीलार्थी को दी गई स्वतंत्रता, उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती नहीं दिए जाने के कारण यथावत रखी जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पृथ्वी पाल सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।